तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6233/2010/जोधपुर** **शंकर सिंह व अन्य बनाम कमल कंवर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री गोविन्द शर्मा, श्री अनिल शर्मा, श्री गिरीश पारीक, श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

——

निर्णय

दिनांकः—21.03.2024

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 3/2009 में पारित निर्णय दिनांक 18—08—2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 88 व 188 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर, बिलाड़ा के न्यायालय में प्रतिवादी/अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाकै ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा में अवस्थित वादग्रस्त आराजीयात बाबत् प्रस्तुत किया तथा साथ ही धारा 212 का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया जिसे न्यायालय सहायक कलक्टर, बिलाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 14.01.2009 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण/वादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.08.2010 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी में अंकित तथ्यों को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6233/2010/जोधपुर** **शंकर सिंह व अन्य बनाम कमल कंवर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दोहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। दोनों अधी0न्याया0 ने प्रकरण में लिप्त विवाद को एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र के पिथ एण्ड सब्स्टेंस को ध्यान में रखे बिना अपना निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट व अपील इस प्रकार निर्णित की है मानो वे मूल वाद का निस्तारण कर रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र व अपील का निस्तारण किए जाने में जिस प्रकार की फाईंडिंग दी है, एक प्रकार से उन्होंने वाद का निर्णय किए जाने हेतु कुछ शेष नहीं छोड़ा है। उनकी अप्रोच प्रार्थना पत्र व अपील का निर्णय करने में गलत रही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के पक्ष में हुए गलत इन्द्राज को वाद के माध्यम से चुनौती दी थी। ऐसी स्थिति में जिस इन्द्राज को प्रार्थीगण ने चुनौती दी है उस इन्द्राज को आधार मानकर दोनों अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र व अपील का निस्तारण प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित नहीं करना चाहिए था। विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज श्री हरीसिंह थे, विवादित भूमि श्री हरीसिंह के खातेदारी में दर्ज रही है, जिससे विवादित भूमि पैतृक भूमि साबित होती है। पैतृक भूमि होने के कारण स्व0 हरीसिंह के सभी पुत्रों का बराबर हक व अधिकार बनता है। हरीसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् विवादित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है, जैसा कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के बंट में आई थी। हरीसिंह के सबसे बड़े पुत्र देवीसिंह ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने एक लड़के रघुवीरसिंह के नाम उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज करवा दी। जबकि उक्त भूमि के संबंध में परिवार के सदस्यों के बीच उस वक्त कोई बंटवारा नहीं हुआ था, फर्जी बंटवारा बता कर उस भूमि की खातेदारी जरिए नामांतकरण संख्या 131 दिनांक 10.03.71 रघुवीरसिंह के खातेदारी में जो दर्ज की गई थी, वह इन्द्राज प्रारंभ से शून्य था। जबकि नामांतकरण के माध्यम से किसी व्यक्ति के पक्ष में बंटवारे के माध्यम से खातेदारी दर्ज नहीं की जा सकती थी। उस समय स्वयं रघुवीरसिंह के पिता देवीसिंह मौजूद थे तथा विवादित भूमि बाबत् बंटवारे की डिक्री किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी नहीं की गई थी, न ही सभी सहखातेदारों ने आपसी सहमति से किसी प्रकार का तहसीलदार से बंटवारा करवाया था। रघुवीरसिंह के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण प्रारंभ से शून्य व क्षेत्राधिकार रहित था तो ऐसे इन्द्राज को आधार मानकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी. एक्ट खारिज नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6233/2010/जोधपुर** **शंकर सिंह व अन्य बनाम कमल कंवर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जा सकता था। अधी0न्याया0 ने इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि विवादित भूमि वर्ष 1971 से अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। स्व0 हरीसिंह के पास पूर्व में कुल कितनी भूमि थी तथा बंटवारे में किसको कितनी–कितनी भूमि मिली व कितनी भूमि सिलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थीगण को केवल अपना प्रकरण साबित करना था कि विवादित भूमि में उसके क्या हक व अधिकार है तथा जो इन्द्राज अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत किए गए है वो कहां तक सही है। विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि हरिसिंह के खाते में थी अथवा नहीं एवं सिलिंग प्रकरण में कोई भूमि अवाप्त हुई है अथवा नहीं, यह बिन्दु विवादित भूमि बाबत् तय नहीं किया जा सकता। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है तथा विवादित भूमि बाबत् वाद जैरकार है। अप्रार्थीगण ने गैरकानूनी रूप से विवादित भूमि अपने नाम दर्ज करवा रखी है तथा उक्त इन्द्राज के आड़ में अप्रार्थीगण विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करने एवं रहन, बय मुंतकिल करने पर आमादा है तथा के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण ने विवादित भूमि को अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण कर दी थी जो धारा 52 टी.पी.एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन था। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर तथा सहायक कलक्टर, बिलाड़ा के निर्णय क्रमशः दिनांक 18–08–2010 एवं 14–01–2009 को अपास्त किया जावें तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जावें। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 479, आरआरटी 2023 (2) पेज 919, आरआरटी 2018 (1) सुप्रीम कोर्ट पेज 156 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् आदेश है। मूल खातेदार हरीसिंह के पास कुल 618 बीघा 17 बिस्वा भूमि थी, जिसमें से उत्तराधिकारों को बंटवारा कर भूमि देने के बाद भी कुछ भूमि सीलिंग में गई थी, मगर प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा में सभी तथ्यों को प्रकट नहीं किया, हरीसिंह की खातेदारी में कुल कितनी भूमि थी, उसमें से प्रार्थीगण को किन–किन खसरान की कितनी–कितनी भूमि मिली और किन खसरान का बंटवारा नहीं हुआ आदि तथ्य अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किए, हरीसिंह के वारिसान को सीलिंग	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6233/2010/जोधपुर** **शंकर सिंह व अन्य बनाम कमल कंवर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिनियम के तहत देय भूमि सुरक्षित रखते हुए सीलिंग सीमा से अधिक भूमि सीलिंग कार्यवाही में अवाप्त किए जाने के बाद हरीसिंह के पास 494 बीघा 18 बिस्वा भूमि रही थी, अप्रार्थी को परिवार से अलग कर दिया गया था और उनके हक–हिस्से में अन्य भूमियों के साथ–साथ खसरा संख्या 260/1 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 571 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा दी गई थी, तत्कालीन तहसीलदार द्वारा इस बंटवारे को मंजूर करते हुए पटवारी हल्का को राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी रघुवीरसिंह के नाम दर्ज की गई। खसरा संख्या 371 की 67 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से 63 बीघा 5 बिस्वा भूमि अवाप्त की जाकर अन्य व्यक्तियों (12 बीघा भूमि हेमाराम, 10 बीघा भूमि दुर्गाराम पुत्र शिवराम, 10 बीघा भूमि घेवरराम, 15 बीघा भूमि अर्जुनराम व 15 बीघा भूमि हुकमाराम) को आवंटित की जा चुकी है, मगर अपीलांटस ने इन सभी तथ्यों को भी अपने प्रार्थना पत्र में छिपाया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 2011–12 आर0आर0टी0 (सप्ली.) पेज 217, 2010 (2) आर0आर0टी0 पेज 1392, 2006 (1) आर0आर0टी0 पेज 623 एवं 2006–07 आर0आर0टी0 पेज 669 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए। हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने न्यायालय सहायक जिला कलक्टर, बिलाड़ा के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया । विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 14.01.2009 को निम्न आदेश पारित किए कि– **''वादग्रस्त आराजी स्व0 रघुवीरसिंह के एकल खातेदारी में**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6233/2010/जोधपुर** **शंकर सिंह व अन्य बनाम कमल कंवर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वर्ष 1971 से चला आ रही है तथा कब्जा चला आ रहा है । वर्तमान में खातेदार अप्रार्थीगण है तथा प्रार्थीगण द्वारा इस बाबत् लंबे समय तक कोई कार्यवाही नहीं किया जाना भी तथा स्व0 हरिसिंह के पूर्व में कुल कितनी भूमि थी तथा बंटवारे में किस को कितनी भूमि मिली व कितनी भूमि सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई है, प्रार्थीगण ने सही तथ्यों को न्यायालय में पेश नहीं किया है । इसलिये प्रार्थीगण के तथ्यों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । वादग्रस्त भूमि का बेचान हो चुका है तथा खातेदार को बंट से प्राप्त भूमि को बेचान किये जाने से रोका जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । साथ ही वादग्रस्त भूमि बाबत् इसी न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया हुआ है । इसलिये इस प्रकरण में स्थगन आदेश को आगे निरन्तर जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । ऐसे प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार व काबिज नहीं होने, न तो प्रथमदृष्टया मामला उनके पक्ष में है, न ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में तथा न ही कोई आर्थिक हानि होने का अंदेशा है । अतः दिनांक 11.11.2008 को जारी अंतरिम आदेश मौजा बीजावास, तहसील बिलाड़ा के खसरा नंबर 260/1 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 371 रकबा 4 बीघा कुल 8 बीघा 6 बिस्वा का वापिस लिया जाता है तथा प्रार्थना पत्र उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जाता है।'' प्रार्थीगण ने न्यायालय सहायक कलक्टर, बिलाड़ा के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष पेश कि जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.08.2010 को खारिज की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के अवलोकन से यह भली–भांति प्रकट होता है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 में हरीसिंह जी की खातेदारी में कुल कितनी भूमि थी, उसमें से प्रार्थीगण को किस–किस खसरा नंबरान की कितनी–कितनी भूमि मिली और किन खसरा नंबरान का बंटवारा नहीं हुआ इत्यादि तथ्यों का स्पष्ट अंकन नहीं किया है। यही नहीं सीलिंग प्रकरण में भूमि जाने का तथ्य भी अंकित नहीं किया है । उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 11.11.2008 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6233/2010/जोधपुर** **शंकर सिंह व अन्य बनाम कमल कंवर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अप्रार्थीगण के हिस्से व खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा संख्या 371 रकबा 4 बीघा का बेचान दिनांक 10.10.2008 को अप्रार्थीगण की तरफ से कानाराम पुत्र भभूतराम व घेवरराम पुत्र गिरधारी राम को कर दिया गया है । इसी प्रकार अन्य ,खसरा नंबर 260 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि का बेचान कानाराम पुत्र भभूतराम एवं घेवरराम पुत्र गिरधारी को किया जाकर कब्जा संभला दिया गया है । इसके बावजूद प्रार्थीगण द्वारा क्रेताओं को प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है । अप्रार्थीगण विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार है । विधिनुसार रिकार्डेड खातेदारी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । विवादित भूमि के संबंध में अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तय होगा । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते है । विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर तत्समान रूप से चस्पा होते है । परिणामत् प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2010 तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, बिलाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2009 यथावत् रखे जाते है । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	